

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

(छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग)

छ.ग. हाट परिसर, महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के पास, पण्डरी, रायपुर (छ.ग.), Phone/Fax : 0771.4016500

Website:- www. cghandicraft.cgstate.govt.in E-mail ID:- cghandicrafts@gmail.com

भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर में 04 वर्षीय स्नातक (क्राफ्ट एण्ड डिजाईन) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शिल्पियों के बच्चों हेतु आवेदन पत्र

01. आवेदक का नाम हिन्दी में :
- अंग्रेजी में :
02. जन्म तिथी (10वीं की अंकसूची संलग्न करें) :
03. उम्र (01 जून 2023 को) : वर्ष माह दिन
04. जन्म स्थान :
05. लिंग (महिला/पुरुष) :
06. शैक्षणिक योग्यता (अंकसूची संलग्न करें) :
07. पिता का नाम :
08. माता का नाम :
09. व्यवसाय :
10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति : विवाहित अविवाहित
11. जाति वर्ग – अनु. जाति, अ.जनजाति :
- अ.पि.व., सामान्य (अजा, अजजा, अपिव, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
13. आवेदक अथवा पिता के का शिल्पी होने का पंजीयन :
- प्रमाण पत्र संलग्न करें (प्रमाण पत्र कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) एवं छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, द्वारा जारी किया गया हो, दोनों की छायाप्रति संलग्न किया जावे)
14. कार्यरत शिल्प का नाम :
15. शिल्प निर्माण का अनुभव :
- छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के केन्द्र प्रभारी/अधिकारी द्वारा अथवा कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा जारी किया गया हो।
16. यदि स्वयं आवेदक का शिल्पी पंजीयन प्रमाण पत्र न हो तो पिता/माता के शिल्पी होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
17. स्थायी/पत्र व्यवहार का पता :
- मोबाईन नं. सहित :
18. भाषा का ज्ञान : हिन्दी-हां/ नहीं अंग्रेजी-हां/ नहीं
- दिनांक :
- स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दी गयी जानकारी सत्य है यदि भविष्य में असत्य पायी जाती है, तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्तानुसार दी गयी जानकारी सत्य है। यदि असत्य जानकारी देने पर किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त करते हुए नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु हस्तशिल्प विकास बोर्ड सक्षम होगा।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

नियम/शर्तें :


01. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी शिल्पियों के बच्चे ही पात्र होंगे।
02. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
03. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु बच्चे के माता-पिता का 5 वर्षों का बोर्ड में पंजीयन या विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली का परिचय पत्र अनिवार्य होगा।
04. आवेदन पत्र बोर्ड के संबंधित जिला केन्द्र प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
05. शिल्प डिजाईन शिक्षा हेतु शिल्पी के बच्चे की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए।
06. प्रवेश के लिए भारतीय शिल्प संस्थान, जयपुर द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा, जिसमें उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
07. आवेदन पत्र में वांछित जानकारी भरकर छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के केन्द्रों/जिला कार्यालयों में दिनांक 24.02.2023 तक एवं मुख्यालय रायपुर में दिनांक 27.02.2023 तक जमा किया जावेगा।
08. भारतीय शिल्प संस्थान, जयपुर में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा में निर्धारित मापदण्ड अनुसार लिखित, मटेरियल टेस्ट एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जावेगा। परीक्षा की तिथी सुनिश्चित होने पर पृथक से सूचित की जावेगी।
09. शिक्षण सत्र माह जुलाई 2023 से प्रारम्भ होगा।
10. 04 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के पश्चात शिल्पकार अपना व्यवसाय स्वयं कर सकेगा।
11. क्राफ्ट एवं डिजाईन में स्नातक पाठ्यक्रम/डिग्री प्राप्त करने के पश्चात हस्तशिल्प विकास बोर्ड, सेवा/नौकरी में रखने हेतु बाध्य नहीं होगा।
12. क्राफ्ट एवं डिजाईन में स्नातक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिल्पियों को शिल्प डिजाईन में पूर्ण ज्ञान उपलब्ध करा कर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपना व्यवसाय स्वयं करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य शिल्पियों को भी अपने व्यवसाय में सम्मिलित कर अधिकाधिक रोजगार दे सके।
13. शिल्प डिजाईन शिक्षा में चयनित शिल्पियों/छात्रों को योजना में प्रावधानित अनुसार वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जावेगी।

14. क्राफ्ट एवं डिजाईन में स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के हस्तशिल्प के विकास/विस्तार हेतु अपना सहयोग प्रदान करना होगा।
15. चयनित छात्र शिक्षण अवधि के बीच में यदि संस्थान छोड़ता है, तो शासन द्वारा उस पर किया गया व्यय पूर्ण रूप से वसूल किया जावेगा।
16. शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा आयु से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
17. चयनित शिल्पी/छात्र को प्रवेश लेने के पूर्व उपरोक्त नियम/शर्तों के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् छ.ग. में हस्तशिल्प के विकास के लिए अपना योगदान देने हेतु तदाशय का एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।



प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड

 रायपुर (छ.ग.)